शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-सी0एम0-11-128/86-2014-141/14

प्रेषक,

डॉ0 गुरदीप सिंह ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2014

विषय- अवैध खनन, ओवर लोडिग, रायल्टी की चोरी एवं बालू, मौरम, मिट्टी के मूल्यों में बढोत्तरी आदि के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह अवगत करना है कि अवैध खनन एक प्रकार संज्ञेय अपराध है। अवैध खनन से यहाँ एक ओर अराजकता उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्व की भारी क्षति होती है। इसकों गम्भीरता से लेते हुये इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा अवैध खनन रोके जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि उक्त के उपरान्त जनपद के जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिक्षकों/पुलिस अधिक्षकों द्वारा उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(क) अवैध खनन को रोकने एवं अनिवार्य रूप से अवैध खनन करते हुये पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं खनन अधिकारियों को पूर्व में दिये गये आदेश का कडाई से जिलाधिकारियों एवं खनन अधिकारियों के माध्यम से परिपालन करवाया जाय।

(ख) अवैध खनन रोकने हेतु जिला खनन अधिकारी अपने जिलाधिकारी से आवश्यक पुलिस बल प्राप्त कर लगातार निरीक्षण करते रहेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह ऐसे निरीक्षण के समय अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, के सम्बन्ध में निदेशक के माध्यम से शासन को अवगत करायेंगे।

(ग) निदेशालय स्तर पर तात्कालिक प्रभाव से कम से कम पांच उडन दस्ते बनाये जायें जो खनन बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर यह देखेंगे कि शासन की ओर से पूर्व में दिये गये निर्देशों का लडाई से अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं एवं विभिन्न माग्रों पर खनिज ले जा रहें ट्रकों को रोककर यह देखेंगे कि रवन्नों के अनुसार खनिज की मात्रा से अधिक। यह भी देखा जायेगा कि रवन्ना मूल है अथवा डुप्लीकेट।

तदनुसार कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिशिचत की जाय।

भवदीय,

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या:- सी0एम0-128(1)/86-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधिक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in